रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 1982/माघ 13, 1903
No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 1982/MAGHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं-7आईटीसी(पीएन)/82

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1982

विषय :—आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट, 1981 (52.541 मिलियन आस्ट्रियन शिलिंग के लिए करार) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें ।

मिसिल सं. आईपीसी 23/25/81 से जारी.—आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट 1981 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली वे शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. ......आईटीसी (पीएन)/82 दिनांक......के लिए परिशिष्ट—

आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट 1981 के अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए शर्तें ।

1. लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किए जाएंगे किन्तु आस्ट्रियन संभरकों को पक्के आदेश लागत-बीमा/लागत तथा भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और इनकी प्रतियां आयात लाइसेंस जारी करने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेजी जाए । ''पक्के आदेशों'' का अर्थ है वह क्रय आदेश जो भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया हो और उसके साथ बाद वाले से पुष्टि पत्र भी लगाया गया हो या वह क्रय आदेश जो भारतीय लाइसेंसधारी और विदेशी संभरक दोनों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो । यदि पक्के आदेश चार मास की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं दिए जा सकते हों तो लाइसेंसधारी को जैसा भी मामला हो, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी.सी.आई.एंड ई.) या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को आदेश देने में समय वृद्धि के लिए सुझाव भेजना चाहिए और उस सुझाव में उसे यह औचित्य भी देना चाहिए कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके । आदेश देने की अवधि में समय वृद्धि से सम्बद्ध ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा और वे अधिक से अधिक दो मास तक की और समय वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि समय वृद्धि आयात लाइसेंसों के जारी होने की तारीख से 6 मास परे के लिए मांगी गई हो तो ऐसे आवेदन निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (आई.ए.अनुभाग) वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे । लाइसेंस कोड ''एस'' और ''ए ए'' लाइसेंस सं. के बाद पहले और द्वितीय कूटय में संकेतित होने चाहिए । सही लाइसेंस कोड का प्रयोग सभी लदान दस्तावेजों और साथ ही साथ ''एस'' प्रपत्र में किया जाना चाहिए जो रुपया निक्षेप करते समय भारतीय बैंक को भेजने अपेक्षित हैं ।

2. केवल आस्ट्रियन मूल के पूंजीगत माल ही इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदाना के लिए पात्र है ।

3. लाइसेंस भारत से प्रेषणों के लिए वैध नहीं होगा । आस्ट्रियन संभरकों को भुगतान नीचे की कंडिका 6 से 10 में निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार ही किए जा सकते हैं ।

4. भारतीय आयातक और आस्ट्रियन संभरक के बीच संभरण संविदा में लाइसेंस शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट 1981 में से आयातकों के वित्त-दान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के भी अधीन होनी चाहिए । आयातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे इस शर्त के बारे में संभरकों को सूचित कर दें और इस संबंध में संभरण संविदा में भी एक धारा जोड़ दें । इसके अलावा अनुमोदित आदेश वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आई. ए. अनुभाग) की पूर्व अनुमति के बिना रद्द नहीं किये जाने चाहिए ।

5. संविदा का मूल्य केवल आस्ट्रियन शिलिंग में ही व्यक्त किया जाना चाहिए । संविदा में सामान्यतः लदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट 1981 में से नकद भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । किसी भी प्रथागत निष्पादन गारन्टी के लिए संभरक को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है ।

6. संविदा पूर्ण हो जाने के तुरन्त बाद आयातक को संविदा/संभरण आदेश की फोटो स्टेट या प्रमाणित 5 प्रतियां और इसके साथ आयात लाइसेंस की एक फोटो स्टेट या यदि कोई हो तो विदेशी मुद्रा की स्वीकृति की प्रति वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग को भेजनी चाहिए । आयातक को अनुबंध 2 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार भी सूचना भेजनी है ।

7. आस्ट्रिया से आयात के लिए निजी क्षेत्रों एवं सरकारी विभागों से भिन्न कम्पनियों एवं संस्थानों द्वारा तय की गई संविदाओं के मामले में आयातक को अनुबंध 3 में निर्धारित प्रपत्र में एक अनुमोदित बैंक से, स्टाम्प समाहर्ता द्वारा विधिवत निर्णीत एक बैंक गारंटी भेजनी चाहिए । बैंक गारन्टी उस धनराशि के लिए होनी चाहिए कि जो संविदा के लिए प्राधिकार पत्र लिया जाना है उसकी धनराशि के लिए जमा ब्याज और अन्य प्रभारों के समतुल्य रुपए को प्रदर्शित करें । परिवर्तन की दर, आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि को यथा प्रचलित राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित विनिमय दर या वह दर होगी जो आयात लाइसेंस में संकेतित हो ।

8. यदि संविदा दस्तावेज/संभरण आदेश, प्राधिकार पत्र जारी करने के निवेदन आयात लाइसेंस और जहां कहां आवश्यक हो बैंक गारन्टी ठीक पाए जाते हैं तो आर्थिक कार्य विभाग, प्राधिकार पत्र (अनुबंध 1 में दिए गए प्रपत्र में) के साथ संविदा की प्रति आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक को भेजेगा ।

.9 यदि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के भीतर संभरकों को पोतलदान/भुगतान पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो, प्राधिकार पत्र की अवधि समाप्त होने से काफी पहले प्राधिकार पत्र की तिथि में उचित वृद्धि के लिए आयातकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आई ए अनुभाग) से संपर्क स्थापित करना चाहिए । यदि मांगी गई अवधि वृद्धि मूल लाइसेंस की वैधता अवधि से अधिक हो तो ऐसे निवेदनों के साथ पुनर्वैध आयात लाइसेंस की फोटो स्टेट प्रति होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो बैंक से बैंक गारन्टी की वैधता की अवधि में वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र होना चाहिए ।

10. यदि प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 मास के भीतर प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए निवेदन नहीं प्राप्त होता है तो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि अभ्यर्पित की हुई समझी जाएगी और प्राधिकार पत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ।

11. आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक मूल परक्राम्य पोतलदान और अन्य दस्तावेज संबद्ध आयातकों के भारतीय बैंक को भेजेगा और इन दस्तावेजों के परक्राम्य सेटों की रिहाई आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक के आयातकों को तब करना चाहिए जब इस बात का सुनिश्चय हो जाए कि आयातक ने निम्नलिखित धनराशि जमा करवा दी है ।

(1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके से या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले निर्धारित तरीके से गणना की जाने वाली लागू मिश्रित दर पर आस्ट्रियन शिलिंग में संभरकों को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपए ।

(2) सार्वजनिक सूचना सं. 46 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार या उपर्युक्त मद सं. (1) में जमा की जाने वाली धनराशि पर समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली दर से पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से और 30 दिनों से अधिक के लिए 18% वार्षिक ब्याज की दर से आयातकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी दिल्ली या भारतीय रिजर्व बैंक में वास्तविक रुपया जमा करने की तारीख और आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक द्वारा संभरकों से वास्तविक रूप से किए गए भुगतान की तारीख (दोनों दिन शामिल होंगे) के बीच के दिनों के लिए परिगणित ब्याज ।

(3) आस्ट्रियन पूंजीगत माल 1981 के अधीन राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के लिए ब्याज के भुगतान की व्यवस्थाएं लागू नहीं हैं ।

12. इस बात का सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध भारतीय बैंक की होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व सरकार के लेखे में सही रूप से जमा करवा दी जाती है । आयातक को भी इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि अपने बैंकर्स से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करवा दी है ।

13. आयातकों (निजी क्षेत्र के संस्थान और केन्द्रीय सरकार के विभागों को शामिल करके) को अपेक्षित धनराशि केवल विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही जमा करवानी चाहिए और उनसे सार्वजनिक सूचना सं. 184 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68 के अनुसार लाइसेंस

की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पृष्ठांकित करवा लेनी चाहिए। सम्बद्ध बैंक द्वारा अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजा जाएगा।

14. ऊपर के पैरा 11 में निर्धारित धनराशि केवल भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली या भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली में ही सरकारी लेखे में निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अधीन निक्षेप किया जाएगा :—

> "के डिपोजिट्स एंड एडवांसिज - डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्टरेस्ट-843-सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेटरा एब्रोड-परचेजिज एटसेटरा अन्डर आस्ट्रियन कैपिटल गुड्स क्रेडिट 1981"

15. भारतीय रिजर्व बैंक से या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली से प्राप्त चालान की एक प्रति या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में दर्शनी हुंडी (डिमान्ड ड्राफ्ट) जमा करने के बारे में सूचना आयातक के बैंक द्वारा सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन द्वीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ एक अग्रेषण पत्र भी भेजा जाना चाहिए जिस में आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त प्राधिकार पत्र सं. विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके समतुल्य रुपया जमा करवाया गया है, आस्ट्रियन संभरक को भुगतान की तिथि और ब्याज की धनराशि, परामर्श टिप्पणियों के पूर्ण ब्यौरे के साथ दर्शाई जाएं।

16. एक लाइसेंस के अधीन आयात पूर्ण हो जाने के बाद और आयातक बैंकों द्वारा सरकारी लेखे में सभी देय धनराशि जमा करवाने के बाद, प्राप्त आयातों और जमा करवाई गई धनराशि के पूर्ण ब्यौरे, अनुबंध 4 में निर्धारित प्रपत्र में, नियंत्रक लेखा सहायता एवं लेखा परीक्षा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग को भेजना चाहिए। जिससे कि वित्त मंत्रालय सत्यापन करने और जहां आवश्यक हो आयातकों द्वारा भेजी गई बैंक गारन्टी की रिहाई करने की व्यवस्था करने में और मामले को बन्द करने में समर्थ हो सके।

17. इसे भली-भांति से जान लेना चाहिए कि यदि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच में किसी प्रकार झगड़ा हो जाता है तो भारत की सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराई जाएगी। भुगतान किए जाने से पूर्व संभरक द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें आयातक को बता दी जानी चाहिएं। यदि आवश्यक हुआ तो विवादों को निपटाने से सम्बद्ध व्यवस्था संविदा में की जा सकती है।

18. आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट 1981 के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा। आयात अनुबन्ध-3 के अनुसार एक तिमाही रिपोर्ट भी (अनुबन्ध-2 के अनुसार दो प्रतियों में) वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, जीवन द्वीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगी।

19. उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध 1

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

प्रबन्धक,
आस्ट्रियन नेशनल बैंक,
आटो वागनर प्लेट्ज 3,
वियना-1 (आस्ट्रिया)

प्रिय श्री,

आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट 1982—प्राधिकार पत्र संख्या

हमें के मद्दे आस्ट्रियन शिलिंग के लिए सर्वश्री द्वारा सर्वश्री को दिए गए आदेश सं. दिनांक के संदर्भ की ओर आपका ध्यान दिलाया है। हम एतद्द्वारा आपको संलग्न विवरण में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार सर्वश्री को आस्ट्रियन शिलिंग (आस्ट्रियन शिलिंग) तक की धन राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। अनुरोध है कि सर्वश्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, लदान सम्बन्धी और अन्य दस्तावेज सीधे ही (बैंक) को भेजे जाएं।

2. उपर्युक्त पैरा 1 में दर्शाई गई धनराशि, भारत सरकार और आस्ट्रियन संघीय सरकार के बीच दिनांक 9 सितम्बर, 1981 को हुए समझौते के अनुच्छेद 2 और 3 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा चुकाई जाएगी।

3. कृपया इस साख-पत्र के मद्दे किए गए भुगतानों के ब्यौरे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय, नई दिल्ली को भेजे जाएं और उसे लदान और अन्य निर्धारित दस्तावेजों की एक प्रति से साथ नामे डालने के लिए सूचना भी भेजी जानी चाहिए।

4. यह प्राधिकार पत्र दिनांक मास 198 तक वैध रहेगा।

भवदीय,

( )

जानकारी के लिए प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. (बैंक)

उन्हें यह सुनिश्चय करना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 158-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28 जनवरी, 1972, सार्वजनिक सूचना सं. 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 सार्वजनिक सूचना सं.-8-आईटीसी (पीएन)/76

दिनांक 17-1-1976 और समय-समय पर जारी की जाने वाली ऐसी ही अन्य सार्वजनिक सूचनाओं में निहित मिश्रित दर पर गणना किए गए रुपए की समतुल्य धनराशि और उसके साथ उस पर संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकारी लेखे में (दोनों दिन मिलाकर) धनराशि जमा करने की तिथि तक के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 46-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 16-6-1976 में दी गई दर पर ब्याज आयातक को मूल दस्तावेज रिहा करने से पूर्व जमा कर दी गई है । इस संबंध में, आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट, 1981 के अधीन आयातों के लिए लागू होने वाली लाइसेंस शर्तों का संदर्भ दिया जाए । (ब्याज के भुगतान की व्यवस्थाएं, राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के लिए लागू नहीं होती) ।

अनुबन्ध 2

आस्ट्रियन पूंजीगत माल क्रेडिट, 1981 के अधीन प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

(क) भारतीय आयातक और/या जहां आवश्यक हो, परियोजना प्राधिकारी का नाम और पता ।

(ख) संभरक का नाम और पता ।

(ग) (1) आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख ।

(2) मूल्य ।

(3) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त ब्यौरा ।

(घ) (1) भारत में आयातक का बैंक (यह वह बैंक होगा जिसने निजी क्षेत्र के मामले में बैंक गारण्टी भेजी हो) ।

(2) भारत में आयातक का बैंक जो आयातक को पोत लदान दस्तावेज जारी करने से पूर्व सरकारी लेखे में धनराशि जमा करवाने के लिए जिम्मेवार होगा ।

(ङ) आस्ट्रियन शिलिंग में संविदा आदेश का मूल्य ।

(च) सुपुर्दगियां पूर्ण कर लेने की प्रत्याशित तिथि।

(छ) भुगतान की शर्तें तथा वह संभावित तिथि जिसको संविदा के अधीन भुगतान देय होगा ।

(ज) क्या आंशिक पोत-लदान अनुमेय/निषेध है ।

(झ) लदान दस्तावेज की विस्तृत सूची जैसे अवतरण बिल, बीजक, उद्गम प्रमाण-पत्र आदि, जिसकी मांग आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक भुगतान करने से पूर्व संभरकों से मांगेगी और इसके साथ प्रत्येक दस्तावेज के लिए अपेक्षित प्रतियां ।

(ट) यदि कोई हो, तो संविदा में शामिल किया गया भारतीय अभिकर्ता का कमीशन (सही धन राशि का संकेत किया जाना है) जिसे प्राधिकार पत्र जारी करते समय संविदा के मूल्य में से निकाल दिया जाना है । ऐसा कमीशन अभिकर्ता को सीधे ही आयातक द्वारा रुपये भुगतान करने योग्य होगा ।

(ठ) वह मूल्य जिसके लिए प्राधिकार-पत्र अपेक्षित हो ।

(ड) बैंक गारण्टी की संख्या, दिनांक और मूल्य जिसमें उसकी वैधता अवधि भी दर्शाई जानी चाहिए (केवल निजी क्षेत्र के आयातों के मामले में) ।

(ढ) यदि कोई हो तो विशेष अनुदेश ।

अनुबन्ध 3

गारन्टी बांड

(आस्ट्रियन पूंजीगत माल साख, 1981 के अन्तर्गत माल आयात करने की प्रक्रिया के अधीन बैंक द्वारा भेजा जाना है ।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (इसके बाद जिसे ''सरकार'' कहा गया है) के लिए आस्ट्रियन साख, 1981 की शर्तों के अन्तर्गत और उपर्युक्त समझौते के मद्दे आयातक के नाम में की जारी किए गए आयात लाइसेंस सं. के अनुसरण में द्वारा (इसके बाद जिसे ''आयातक'' कहा गया है) के आयात के लिए आस्ट्रियन शिलिंग में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सहमत होने पर हम, बैंक आयातक के अनुरोध पर आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक द्वारा किए गए भुगतानों और उस बैंक को भुगतान किए जाने योग्य कमीशन और डाक खर्च की धनराशि को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 1 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार या इस मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर अभिसूचित अनुदेशों के अनुसार परिकलित प्रचलित मिश्रित मुद्रा विनिमय की दर पर सरकार के लेखे में जमा करने के लिए सूचना प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर विधि के अनुसार और भारत सरकार द्वारा संकेतित उचित लेखा शीर्षों के मद्दे उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत जमा करने की व्यवस्था करने के लिए वचन देते हैं और हम यह भी वचन देते है कि सार्वजनिक सूचना सं. 46 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 में निर्धारित दरों पर अर्थात् पहले 30 दिनों के लिए 9% की दर पर और विदेशी संभरक को भुगतान किए जाने की वास्तविक तारीख (इसमें दोनों तारीखें शामिल हैं) से अधिक दिनों के लिए 15% की दर पर ब्याज जमा करेंगे।

2. हम (बैंक) यह भी वचन देते हैं कि आयातक द्वारा सरकार को समय-समय पर चुकाए जाने योग्य किसी भी प्रकार की बाकी रही धनराशि को चुकाए जाने में बाकीदारी पाये जाने पर सरकार समय-समय पर ऐसी धनराशि जो रुपए से ज्यादा नहीं हैं या उसका कोई भी अंश जो कुछ समय के लिए बाकी रहा है और उसका आयातक द्वारा भुगतान किया जाना है, उसकी जमा करने के लिए सरकार समय-समय पर जिस स्थान पर और जिस तरीके से जमा करने के लिए आदेश दे तो सरकार को उसकी क्षति नहीं होने देंगे और उसे क्षति पूर्ति से दूर रखेंगे । तथा हम इसके साथ सरकार के खाते में समतुल्य रुपए वास्तव में जमा करने की तिथि से संभरक को किए गए भुगतान की तिथि तक के लिए अर्जित प्रथम 30 दिनों के लिए 9 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक की दर से और इससे अधिक दिनों के लिए

15 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक की दर से उस पर ब्याज भी जमा करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के सम्बन्ध में जो राशि हमारे बैंक द्वारा दी जानी है, उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर अंतिम और अनिवार्य होगा।

3. हम बैंक आगे इस बात पर सहमत होते हैं कि संविदा के अंतर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसका मूल्य बढ़ जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारन्टी बान्ड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारन्टी में जो कुछ निहित है, व उल्लिखित करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होंगी और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया देय पूर्ण रूपेण चुकता न कर दिया गया हो और उसकी मांगें पूरी न हों या उन्मुक्त न हो गई हों।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दि बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक और दि बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे या किसी भी धनराशि के भुगतान के लिए आयातक को बाध्य कर सकती है और उपर्युक्त मामले के संदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतन्त्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह ही हो या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जमानतों से सम्बन्धित हो बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. हम बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना, मुद्रा काल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. हम बैंक, एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं.-15 आईटीसी (पीएन)72, दिनांक 28-2-72 और सं. 108 आईटीसी (पीएन) 72, दिनांक 21-7-72 और सं. 3 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 और इसके बाद समय-समय पर जारी होने वाली ऐसी ही अन्य सार्वजनिक सूचनाओं की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने का वचन देते हैं।

8. इस पोस्टल गारंटी के अन्तर्गत रुपए (इसमें ब्याज तथा कमीशन और अन्य प्रभार भी शामिल है, यदि कोई हो तो इस गारंटी की धनराशि के एक प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक हमारी जिम्मेदारी सीमित है और यह गारंटी दिन मास 19 तक, जब तक इसकी तारीख से छः मास के भीतर लिखित रूप में इस गारंटी के अंतर्गत मांग पूरी नहीं कर ली जाती, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक उसके बाद दूसरी छः मास के भीतर अर्थात् तक उनकी मांगों के लिए मुकद्दमा या कार्रवाई लागू न हो जाए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम लोग इसके अन्दर निहित जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे

दिनांक वास्ते

(बैंक लि.) श्री

के द्वारा (नाम और ओहदा) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत हस्ताक्षर

*जिस तारीख को संभरकों को सभी भुगतान पूरा करने की आशा हो उसमें एक मास जोड़ कर यह तारीख मानी जाएगी।

टिप्पणी :—(1) स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, इसके मूल्य को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा ब्याज निर्णित किया जाना है।

(2) बैंक गारंटी की धनराशि के परिकलन के लिए अपनाई जाने वाली मुद्रा विनिमय दर वही दर होनी चाहिए जो आयात लाइसेंस में दी गई है।

अनुबन्ध-4

प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन आयात/भुगतान पूर्ण होने पर सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को भेजी जाने वाली रिपोर्ट।

1. आयातक/लाइसेंस धारी का पूरा पता
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक एवं मूल्य
3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक एवं धन राशि (निजी क्षेत्र के आयात के सम्बन्ध में)
4. वित्त मंत्रालय से जारी किए गए प्राधिकार पत्र के ब्यौरे :—
   (क) प्राधिकारपत्र की संख्या एवं दिनांक
   (ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (आस्ट्रियन शिलिंग में)
5. प्रभावी किए गए आयातों एवं जमा किए गए रुपयों के ब्यौरे :—
   (क) संभरक का नाम
   (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक को चुकाई गयी वास्तविक धनराशि (आस्ट्रियन शिलिंग में)
   (ग) आस्ट्रियन नेशनल बैंक द्वारा संभरक को किए गए भुगतान की तारीख
   (घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि :—
      (1) संभरक को चुकाई गई आस्ट्रियन शिलिंग के समतुल्य रुपए आस्ट्रियन शिलिंग = रुपए

(2) चुकाया गया ब्याज

(3) जिस अवधि तक ब्याज परिकलित किया गया है से तक ।

(4) क्षमा किया गया कुल धन

(5) जमा करने का दिनांक और स्थान

(6) राजकोष चालान की संख्या एवं दिनांक (इसे संलग्न किया जाता है) यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया है तो उसकी संख्या एवं दिनांक का संदर्भ उद्धृत किया जाए ।

(7) यदि उपर्युक्त (क) (4) में लिखित रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसके ब्यौरे ।

6. प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे प्रयुक्त एवं आयुक्त शेष धनराशि (आस्ट्रियन शिलिंग में)

7. इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि उपर्युक्त कंडिका-6 में संकेतित शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके लिए कोई पोतलदान नहीं किया गया है तथा उसे समाप्त हुआ समझा जाए ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 7-ITC(PN)/82

New Delhi, The 2nd February, 1982

Subject :—Licensing Conditions for licensing Private sector and Public Sector imports under Austrian Capital Goods Credit, 1981 (Agreement for Austrian Schillings 52.541 million).

Issued from file No. IPC/23(25)/81.—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of Private Sector and Public Sector imports under Austrian Capital Goods Credit, 1981, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 7 ITC(PN)/82 dated the 2nd February, 1982

CONDITIONS FOR LICENSING PRIVATE SECTOR AND PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER THE AUSTRIAN CAPITAL GOODS CREDIT, 1981

1. The licence will be issued with a validity period of twelve months but firm orders on C.I.F./C.&F. basis must be placed on the Austrian suppliers and copies of the same furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs within four months from the date of issue of the import licence. The term 'firm order' means a purchase order placed by the Indian licensee on the foreign supplier duly supported by confirmation from the latter or a purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the foreign supplier. If firm order cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (C.C.I.&E.) or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension on the ordering period will be considered on merits in each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 2 months. If, however, extension is sought beyond 6 months from the date of issue of import licence, such a proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Indian Aid Section), Ministry of Finance. The licence codes "S" and "AA" should be indicated in the first and second suffix after the licence number. The correct licence code should be used in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Indian Bank at the time of rupee deposits.

2. Only capital goods of Austrian origin are eligible for being financed under this credit.

3. The licence will not be valid for remittances from India. Payment to the Austrian Suppliers can be made only in accordance with the procedure set forth in paragraphs 6—10 below.

4. The contract of supply between the Indian Importer and the Austrian supplier should provide for the import being financed out of the Austrian Capital Goods Credit, 1981 in accordance with the procedures set forth in these Licensing Conditions, and should also be made subject to approval by the Government of India. Importers should take special care to inform the Suppliers about this condition and also incorporate a clause to this effect in the supply contract. Moreover, approved orders should not be cancelled without prior concurrence of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

5. The value of the contract should be expressed in Austrian Schillings only. The contract should normally provide for cash payment out of the Austrian Capital Goods, Credit, 1981 on presentation of shipping documents. For any customary performance guarantee, the Suppliers could be asked to furnish a bank guarantee.

6. Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostat or certified copies of the contract|supply orders accompanied by a photostat copy of the Import Licence if any or foreign exchange sanction to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section). The importer is also required to furnish the information as per details in Annex. II.

7. In the case of contracts concluded by companies and institutions other than Public Section undertakings and Government Departments for imports from Austria the importer should furnish a bank guarantee from an approved scheduled bank, in the form prescribed (Annex II) duly adjudicated by the Collector of Stamps. The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount of contract for which letter of authority is sought plus interest and other charges. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of revenue as prevailing on the date of issue of import licence or that indicated on the import licence.

8. If the contract documents|supply order, the request for issue of letter or authorisation, the import licence and bank guarantee, where necessary, are found to be in order, the Department of Economic Affairs will forward a copy of the contract to the Austrian National Bank together with a Letter of Authority (in the form at Annexure I).

9. In case the shipment|payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence, and a letter from the bank extending the validity of Bank Guarantee, where necessary.

10. If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority, the unutilised balance in the Letter of Authority will be

deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

11. The original negotiable shipping and other documents will be invariably forwarded by the Austrian National Bank to the concerned importer's bank in India who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited :

(i) the rupee equivalent of the prevents made of the suppliers in Austrian Schilling at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports and Exports Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India.

(ii) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76 or at the rates as may be notified from time to time on the amount required to be deposited vide item No. (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Austrian National Bank to the date of actual deposit (both days inclusive) of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India.

(iii) The provisions for payment of interest are not applicable to imports made under the Austrian Capital Goods Credit 1981 by State Government Departments and Central Government Departments.

12. It shall be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

13. The importers (including Public Sector Undertakings and Departments of the Central Government) should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

14. The moneys specified in para 11 should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi to the Credit of the Central Government Account under the head of account—

"K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad—purchases etc. under Austrian Capital Goods Credit 1981."

15. One copy of the receipted challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6, should be sent by Importer's Bank to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001 along with a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the Austrian National Bank, Letter of Authority No., amount of foreign currency to which rupee deposit is made, date of payment to the Austrian Supplier and amount of interest.

16. After the imports under a licence are completed and the Importers bankers have deposited into Government Account all the amounts due, details of the import received and the rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 in the pro forma prescribed in Annexure IV to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the Bank Guarantees furnished by the importers wherever necessary and to close the cases.

17. It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the Supplier before the payment could be effected, should be spelt out by the importer. If necessary, provision dealing with the settlement of disputes may be included in the contract itself.

18. The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or order issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Austrian Capital Goods Credit, 1981.

19. Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEXURE I

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the————

The Manager,
Austrian National Bank,
Otto Waagner Platz 3,
Vienna—IX (Austria).

Dear Sir,

AUSTRIAN CAPITAL GOODS CREDIT 1981 —LETTER OF AUTHORITY NO.

We are to invite a reference to the order No.———— dated the————placed by M/s.———— on M/s.————for Austrian Schillings———— ————on account of————We hereby authorise you to pay to M/s.———— a sum not exceeding Austrian Schillings———— (Austrian Schillings————) in accordance with the terms and conditions stipulated in the enclosed statement. It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by M/s———— ————be despatched direct to the———— ————(Bank).

2. The amount referred to in paragraph 1 above will be repaid by the Government of India in accordance with the terms and conditions laid down in Articles 2 and 3 of the Agreement dated 9th September, 1981 between the Government of India and the Austrian Federal Government.

3. The details of payments made against this Letter of Authority may kindly be intimated to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Office of the Controller of Aid Accounts and Audit, New Delhi to whom the debit advices alongwith a copy of the shipping and other stipulated documents should be sent.

4. This authority will remain valid upto the———— day of————,198————.

Yours faithfully,

( )

Copy forwarded for information to :-

1. ————————(Bank). They should ensure that the rupee equivalent calculated at the composite rate prescribed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972, Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated the 21st July,

1972, Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued from time to time together with the interest thereon at the rates prescribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-1976 from the date of payment to the suppliers to the date of desposit of the amount into Government Account (both days inclusive) is deposited before releasing the original documents to the importer. In this connection the licencing conditions applicable to the imports under Austrian Capital Goods Credit 1981 may be referred to (The provision for payment of interest does not apply to imports made by State Government Departments and Central Government Departments).

ANNEXURE II

Application for the grant of Letter of Authority under Austrian Capital Goods Credit 1981

(a) Name and address of the Indian importer and|or project authority where necessary.

(b) Name and address of the supplier.

(c) (i) No. and date of Import Licence.

(ii) Value

(iii) Short description of goods to be imported.

(d) (i) The Importers' Bank in India (which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee in case of Private Sector imports).

(ii) The importers' Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.

(e) Value of the contract order in Austrian Schillings.

(f) Expected date of completion of deliveries.

(g) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(h) whether partial shipment are permitted|prohibited.

(i) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc., which the Austrian National Bank should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.

(j) Indian Agent's commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated), which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.

(k) Value for which the Letter of Authority is required.

(l) Number, date and value of Bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid (in case of private sector imports only).

(m) Special instructions, if any.

ANNEXURE III

GUARANTEE BOND

(to be furnished by Banks under the Procedure for the import of goods under the Austrian Capital Goods Credit, 1981)

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Austrian Schillings for the import of ——————— by———————————(hereinafter called the 'importer') under the terms and conditions of the Austrian Capital Goods Credit, 1981 and in pursuance of Import Licence No.——————issued on——————————— in favour of the Importer against the above agreement, we——— (bank) at the request of the Importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Austrian National Bank and commission and postal charges payable to that Bank converted at the prevailing composite rate of exchange calculated as per instructions issued in C.C.I.&E.'s Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-76 or as notified by the Government in the matter from time to time within *ten days* of the receipt of advice of payment for credit to the Government account in the manner and against the appropriate heads of Account as indicated by Government of India under the said credit together with interest at the rates prescribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-76 i.e. at the rate of 9 per cent for first 30 days and 15 per cent for the period in excess of from the date of payment to foreign supplier to the date of actual deposits (both days inclusive).

2. We, the ———(Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sum not exceeding Rs.——————or any part thereof for the time being due and payable by the Importer together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof vide Public Notice Ibid) accrued from the date of payment to the supplier to the date of actual deposit of the rupee equivalent in Government account. The decision of the Government as to any default in the said payment by the Importer or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us————————(Bank), shall be final and binding on us——————(bank).

3. We,——————(Bank) further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value if unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place in proportion to this change.

4. We,——————(Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importer or the ——————(Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amounts the payment whereof is intended to be hereby secured and the ———(bank), shall not be released from its liability under the guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by the reason of time being give the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government, to the Importer or by any matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the——— (Bank), from its such liability.

6. We,—————(Bank) undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. We,———(Bank), hereby undertake to make additional deposits in terms of Public Notices No. 15-ITC(PN)|72 dated 28th January, 1972 and No. 108-ITC(PN)|72 dated 21st July, 1972 and 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued from time to time hereafter.

8. Our liability under this and postal guarantee is restricted to Rs.——————(plus interest and commission & postal charges, if any, not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the———day of————— (month), 19— Unless claims under this guarantee are made in writing within six months

of this *date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto———, all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated, the————————day of

For——————————(Bank)

Accepted for and on behalf of the President of India by

Shri———— — ——— ——

Name and Designation

Signature..................

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which will payments to the supplier, are expected to be finalised.

NOTE :—(i) This value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed, is to be adjudicated by the Collector of Stamps, under Section 31 of the Indian Stamps Act.

(ii) The rate of exchange to be adopted for working out the amount of the Bank Guarantee should be the same as indicated in the import licence.

ANNEXURE IV

Report to be furnished to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance on completion of the imports| payments under each Letter of Authority.

1. Name and full address of the importer/licencee.

2. The import licence number, date and value.

3. Number, date and amount of the guarantee furnished (in case of private sector imports).

4. Particulars of the Letter of Authority issued by the Ministry of Finance;

(a) Number and date of the Letter of Authority;

(b) Amount of the Letter of Authority (in Austrian Schillings).

5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made :

(a) Name of Supplier(s)

(b) Amount in Austrian Schillings actually paid to the Supplier(s) mentioned at (a) above.

(c) Date of payment to the supplier by the Austrian National Bank.

(d) Amount of rupee deposit :—

(i) Rupee equivalent of Austrian Schillings amount paid to the supplier at the rate of 1 Austrian Schilling =Rs.————.

(ii) interest paid.

(iii) Period for which the interest has been calculated from to

(iv) Total deposit made

(v) Date and place of deposit.

(vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

(vii) If the rupee deposit mentioned in (d)(iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date, and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent.

6. Amount utilised and balance unutilised (in Austrian Schillings) against each Letter of Authority.

7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised Signatures)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982